निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-79/ वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून **के माह** 04/2015 **से** 03/2016 **तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अशोक कुमार, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 तक श्री राकेश कुमार, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री** एस.के. सिन्हा, **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** एवं श्री जी.के. बत्रा, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 20.04.2015 से 30.04.15 तक श्री डी.के. पिपलानी, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** देहरादून जनपद में चिकित्सीय कार्य।

(ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	1767.32	1715.57	1016.75	1016.34	0	52.16
2014-15	0	0	2200.30	2037.28	1141.03	1136.225	0	167.83
2015-16	0	0	2224.86	2151.14	1162.00	1158.69	0	77.02

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2013-14	1. Upgradation of Hospital 2. Seed Money/Untied grant 3. Honorarium	4469645 180554 101483	0 20000000 1995795	4469645 20180554 2097278	4080628 20166379 1962304	389017 14175 134974
2014-15	1. Upgradation of Hospital 2. Seed Money/Untied grant 3. Honorarium	389017 14175 134974	0 1041157 1265992	389017 1055332 1400966	209080 1012325 1387689	179937 43007 13277
2015-16	1. Upgradation of Hospital 2. Seed Money/Untied grant 3. Honorarium	179937 43007 13277	0 1000000 299023	179937 1043007 312300	170800 999934 312300	9137 43073 0

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्रांश व राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून ''अ'' श्रेणी की है।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03 /2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निर्माण सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया गया ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : विगत तीन वर्षों में नियुक्त संविदा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर ` 123.44 लाख का परिहार्य व्यय।

शासनादेश संख्या 236/चि–2–2003–42/2003 दिनांक 24 मार्च 2003 के माध्यम से उत्तराचंल के जिला चिकित्सालयों, राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया था। उक्त प्रबन्धन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य (बिन्दु 8 का उपबिन्दु 9) में स्पष्ट किया गया है कि ''समिति अपनी वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर मेडिकल/पैरामेडिकल कर्मी एवं अन्य गैर चिकित्सीय सेवाओं को अल्पकाल के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकती है।

प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चिकित्सालय में विभिन्न अनुभागों में समिति के माध्यम से संविदा पर कुल 51 कर्मचारी अधिकतम 10 वर्ष एवं न्यूनतम 01 वर्ष से चिकित्सालय में तैनात है। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष अथवा शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। चिकित्सा प्रबंधन समिति के वाईलाज में यह सुस्पष्ट है कि नियुक्ति केवल अल्पकाल के लिए की जा सकती है, परन्तु वाईलाज का उल्लघंन करते हुए अनिश्चित काल हेतु बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गयी, जिससे शासन पर प्रतिवर्ष औसतन ` 41.15 लाख की धनराशि का आवर्ती भार पड़ रहा है। परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में अनियमित रूप से नियुक्त संविदा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर ` 123.44 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। (विवरण संलग्न)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के संचालक मण्डल की अनुमति से आकस्मिकता के दृष्टिगत, चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु नियुक्तियां की गई, अपितु विभागाध्यक्ष अथवा शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

उत्तर से स्पष्ट है कि विभागाध्यक्ष अथवा शासन से स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त नियुक्तियां की गयी। उक्त नियुक्तियां आकस्मिकता के दृष्टित अल्पकाल के लिए तो मान्य है किन्तु विगत 10 वर्षों से पदों पर बने रहना मान्य नहीं है।

अतः विगत तीन वर्षों में नियुक्त संविदा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर ` 123.44 लाख का परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 8.00 करोड़ का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश (दिसम्बर 2015, अप्रैल 2016) के अनुसार दून शासकीय चिकित्सालय का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया था एवं दून चिकित्सालय का राजकीय चिकित्सा विद्यालय में विलय कर दिया गया था। उक्त शासनादेश के प्रभाव में आने के बाद से चिकित्सा प्रबंधन समिति स्वतः ही समाप्त हो चुकी थी। अतः उक्त शासनादेश के जारी होने के पश्चात से उक्त चिकित्सालय के संचालन हेतु बजट का प्राविधान चिकित्सा विभाग से कराया जाना चाहिए था एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त धनराशि से ही चिकित्सालय का संचालन किया जाना चाहिए था। चिकित्सालय के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त शासनादेश के जारी होने के (दिसम्बर 2015) पश्चात चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से ` 8.20 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गयी एवं चिकित्सा प्रंबधन समिति से ` 8.00 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया कि धनराशि शासन स्तर से आवंटित की गयी, व्यय की गयी धनराशि को चिकित्सा शिक्षा विभाग से समायोजित करने हेतु विभागाध्यक्ष से वार्ता कर उचित कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चिकित्सालय के चिकित्सा शिक्षा विभाग में विलय के पश्चात से उक्त विभाग के अंतर्गत बजट का आंवटन कराकर व्यय किया जाना चाहिए था, न कि पूर्व विभाग से। परन्तु चिकित्सालय प्रशासन द्वारा चिकित्सालय के चिकित्सा शिक्षा विभाग में विलय के बाद भी पूर्व विभाग से धनराशि प्राप्त कर ` 8.00 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2: ` 31.39 लाख का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन ''औषधि क्रय नीति'' पत्रांक संख्या 932 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु संख्या 16 में यह निर्देशित किया गया है कि औषधि, रसायन, सर्जिकल सामग्री एवं अन्य नैदानिक सामग्री टैंडर हेतु निविदा पृथक से की जायेगी।

प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा एक्स रे फिल्म, अल्ट्रासाउण्ड फिल्म, सी.टी. स्कैन फिल्म एवं डिजिटल फिल्म की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 में निविदा आमंत्रित कर मै0 संजय कुमार को चयनित किया गया था। उक्त निविदा की वैधता अवधि मार्च 2014 में समाप्त हो जाने के डेढ़ वर्ष बाद तक (सितम्बर 2015) ` 31,38,500 मूल्य की सामग्रियों की आपूर्ति की गयी। विवरण निम्नवत् है।

S.N.	Description	Quantity	Date of Purchase	M/s Name	Tander Year	Amount
1	X-Ray Film 14''x17''	10	18.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	135000
2	X-Ray Film 14''x17''	10	18.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	145000
3	X-Ray Film 14''x17''	10	19.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	145000
4	X-Ray Film 14''x17''	10	19.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	145000
5	X-Ray Film 14''x17''	10	24.09.15	Sanjay Kumar	2013-14	146000
6	X-Ray Film 14''x17''	10	18.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	145000
7	X-Ray Film 11''x14''	15	18.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	135000
8	X-Ray Film 08''x10''	25	18.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	175000
9	Ultra Sound Roll 110x20mt	250	01.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	198750
10	Ultra Sound Roll 110x20mt	250	09.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	198750
11	C.T. Scan Film	10	01.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
12	C.T. Scan Film	10	06.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
13	C.T. Scan Film	10	12.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
14	C.T. Scan Film	10	01.07.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
15	C.T. Scan Film	10	03.07.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
16	C.T. Scan Film	10	06.07.15	Sanjay Kumar	2013-14	155000
17	Digital X-Ray Film 11"x14"	20	19.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	180000
18	Digital X-Ray Film 8"x10"	20	19.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	140000
19	Digital X-Ray Film 8"x10"	20	20.05.15	Sanjay Kumar	2013-14	140000
20	Digital X-Ray Film 11"x14"	20	20.15.15	Sanjay Kumar	2013-14	180000
Total						**3138500**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि आकस्मिकता के कारण निविदा नहीं की जा सकी तथा आगे भी सामग्री पुरानी दरों पर ही क्रय की गयी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आकस्मिकता के कारण निविदा न किये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही उक्त निविदा की वैधता अवधि मार्च 2014 में समाप्त हो जाने के डेढ़ वर्ष बाद तक (सितम्बर 2015) भी सामग्रियों का क्रय किया जाता रहा है। अतः ` 31.39 लाख का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 35.94 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

शासनादेश संख्या–932/XXVIII–4–2014–28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सख्या 11 में यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होगी।

प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा कुल ` 35,94,473 मूल्य की ऐसी औषधियों का क्रय किया गया जोकि उनके निर्माण की तिथि से औसतन चार माह एवं अधिकतम 11 माह की अधिक तक पुरानी थी। इस प्रकार इकाई द्वारा कुल ` 35,94,473 मूल्य की औषधियों का अनियमित क्रय किया गया। तीन माह से अधिक पुरानी औषधियों का विवरण निम्नवत है :

S.N.	Name of Medicines	MFG Month	Valid Purchase Month	Actual Pur. Date	Period Beyond valid Date in months	Quantity	Amount
1	Inj. Etophyllin & Theophyllin 2	03.2015	06/15	18.02.16	7-1/2	5000	18500
2	Tab Ofloxacin 400 mg	03.2015	06/15	18.02.16	7-1/2	60000	143111
3	Pant oprazole 40 mg	07.2015	10/15	18.02.16	3-1/2	100000	55730
4	Tab Ciprofloxacin 250 mg	06.2015	09/15	11.03.16	4-0	50000	59665
5	Axalyet-p Inj.	10.2015	01/16	09.02.16	0-1/2	1700	47515
6	Ciprofloxacin 500 mg	01.2015	04/15	18.06.15	5-1/2	8500	189014
7	Syp. Deacos	12.2014	03/15	18.06.15	5-1/2	1400	19684
8	Syp. Deacos	10.2014	01/15	18.06.15	5-1/2	1800	25308
9	Tab Cetrizine 10 mg	12.2014	03/15	15.04.15	0-1/2	200000	46893
10	Tab Cetrizine	12.2014	03/15	18.08.15	4-1/2	200000	46893
11	Tab Cetrizine	12.2014	03/15	18.08.15	4-1/2	500000	117233
12	Ceprofloxacin	01.2015	04/15	22.06.15	1-1/2	85000	198465
13	Ceprofloxacin 250 mg	06.2015	09/15	15.03.16	5-1/2	50000	62648
14	Co-Trimexazole DS	12.2014	03/15	16.07.15	6-1/2	30000	49494
15	Cyfolace DT	11.2014	02/15	08.08.15	5-0	61900	115061
16	Sy. Deacosecough	12.2014	03/15	22.06.15	2-1/2	3200	47242
17	Inj. Buseopam 1ml	01.2015	04/15	14.12.15	11-0	1500	51650
18	Diclofenace+	02.2015	05/15	16.06.15	0-1/2	200000	54915
19	Cap Dipine 5 mg.	05.2015	08/15	27.10.15	1-1/2	10000	517652
20	Frisiam 5mg	02.2015	05/15	30.07.15	2-0	20000	76519
21	Frisiam 5mg	02.2015	05/15	30.07.15	2-0	50000	196298
22	Mefispos	08.2014	11/14	07.10.15	7-0	39000	49140
23	Mefispos	03.2014	06/14	11.01.16	6-0	98000	70235
24	Ofloxacin 400 mg	03.2015	06/15	18.02.16	7-1/2	60000	143111

25	Remcc	12.2014	03/15	15.04.15	0-1/2	100000	177860
26	Toleprisone	04.2015	07/15	08.09.15	1-0	30000	181440
27	Inj. Cefotaxim	12.2014	03/15	27.06.15	5-1/2	8000	411117
28	Inj. Cefotaxim	02.2015	05/15	25.08.15	2-1/2	8000	209580
29	Inj Etophyllint Theophyllin	03.2015	06/15	03.09.15	2-0	2700	10490
30	Inj Etophyllint Theophyllin	03.2015	06/15	18.02.16	7-1/2	5000	48474
31	Inj Hydrocortisone	01.2015	04/15	07.08.15	3-0	3500	102716
32	Inj Hydrocortisone	11.2014	02/15	21.01.16	10-1/2	600	50820
							3594473

लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः ` 35.94 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : ` 483.67 लाख की औषधियों की गुणवत्ता जांच न किया जाना।

शासनादेश संख्या–932/XXVII–4–2014–28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सख्या 18 में यह निर्देशित किया गया है कि एक बार में क्रय की गयी प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाएगा ताकि औषधि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।

प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल ` 48367301 मूल्य की औषधियों का क्रय किया गया किन्तु किसी भी औषधि का रेण्डम नमूना लेकर उनके गुणवत्ता की जांच नहीं करायी गयी।

लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः ` 483.67 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : मांग के सापेक्ष कंपनी द्वारा निर्धारित समय में आपूर्ति न किए जाने पर कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही न कर अनुचित लाभ पहुंचाना।

कार्यालय के मार्च माह की व्यय से संबन्धित नमूना जांच में पाया गया कि Universal Enterprises, जो कि M/s Karnataka Antibiotics & Pharma Ltd. कंपनी के अधीन देहरादून के लिए ड्रग सप्लाई करने के लिए अधिकृत है, द्वारा Indent के शर्तो का पालन न करते हुए निर्धारित समय सीमा (चार सप्ताह) के भीतर ` 56.48 लाख के दवाओं की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित नहीं की। (Details as annexure-A)

इस संबंध में कार्यालय द्वारा ड्रग सप्लायर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जैसा कि Indent Form में निहित था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि Indent Form में कार्यालय द्वारा Liquidated Damages/Penalty का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था, जैसा कि भारत सरकार के Pharmaceuticals विभाग के Para-vii में उल्लेखित है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत हो रहा है कि जो दवाइयां ड्रग सप्लायर द्वारा 1–30 सप्ताह देरी से सप्लाई की, वे तत्काल रूप से आवश्यक भी थी या नहीं स्पष्ट नहीं था। Indent Form में Penalty Clause न रखे जाने से सरकार को लगभग ` 8.52 लाख की हानि हो गई तथा इस सप्लायर का सप्लाई आर्डर निरस्त नहीं किया गया जैसा कि सप्लाई आर्डर में निहित था। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा विधित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही न कर सम्बन्धित कंपनी सप्लायर को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : विगत तीन वर्षों में नियुक्त संविदा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर ` 1.23.44 लाख का परिहार्य व्यय।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 8.00 करोड़ का अनियमित व्यय।

प्रस्तर 2 : ` 31.39 लाख का अनियमित क्रय किया जाना।

प्रस्तर 3 : ` 35.94 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

प्रस्तर 4 : ` 483.67 लाख की औषधियों की गुणवत्ता जांच न किया जाना।

STAN

प्रस्तर 1 : मांग के सापेक्ष कंपनी द्वारा निर्धारित समय से में आपूर्ति न किए जाने पर कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही न कर अनुचित लाभ पहुंचाना।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'	STAN
174 / 2008–09	1	1	–
54 / 2009–10	1	1, 2	–
67 / 2010–11	1	1, 2	–
141 / 2013–14	–	1, 2, 3	–
05 / 2015–16	1, 2, 3	1, 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
.....शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1.	डा. आर.एस. असवाल	प्रमुख अधीक्षक
2.	डा. के. के. टम्टा	प्रमुख अधीक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की उसकी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी